

प्रवर्तमान समय में बालिकाओं की शिक्षात्मक समस्याएँ

डॉ. रीना एन कोरा

एम. बी. पटेल कोलेज ऑफ़ एज्युकेशन, सरदार पटेल युनिवर्सिटी, वल्लभ विद्यानगर

प्रस्तावना

किसी भी राष्ट्र के सामाजिक और आर्थिक विकास में महिलाओं की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता। महिला और पुरुष दोनों समान रूप से समाज के दो पहियों की तरह कार्य करते हैं और समाज को प्रगति की ओर ले जाते हैं। दोनों की समान भूमिका को देखते हुए यह आवश्यक है कि उन्हें शिक्षा सहित अन्य सभी क्षेत्रों में समान अवसर दिये जाएँ, क्योंकि यदि कोई एक पक्ष भी कमज़ोर होगा तो सामाजिक प्रगति संभव नहीं हो पाएगी। परन्तु देश में व्यावहारिकता शायद कुछ अलग ही है। समाज में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए शिक्षा को सबसे महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। यह न केवल किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करती है, बल्कि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

भारत में महिलाओं की शिक्षा देश में जीवन स्तर को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दूसरे शब्दों में भारत में महिला शिक्षा का कड़वा सच यह है कि जब विकल्प आता है तो वे अपनी बेटी की बजाय बेटों की शिक्षा पर निवेश करना पसंद करती हैं, ऐसा माना जाता है कि बेटा बुढ़ापे में पिता का साथ देगा और दूसरी तरफ कुछ समय बाद लड़की की शादी हो जाएगी, वह दूसरे परिवार में चली जाएगी, इसलिए महिला शिक्षा पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि स्वतंत्र भारत में स्त्रियों की शिक्षा में क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए हैं, परन्तु इन सबके बावजूद भी स्त्री शिक्षा की वर्तमान स्थिति सन्तोषप्रद नहीं है। पुरुषों का एक वर्ग, धार्मिक संकीर्णता रूढ़िवादिता, आज भी स्त्रियों को शिक्षित होने नहीं देना चाहती। आज भी स्त्री शिक्षा में बहुत सी बाधाएँ हैं हमें उन बाधाओं को समझना है एवं उनके निराकरण हेतु समाधान खोजना है, जिससे स्त्री शिक्षा सहज एवं सुलभ बन सके।

बालिका शिक्षा में आने वाली कुछ ज्वलन्त समस्याएँ निम्नानुसार हैं।

१. बालिकाओं की शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का अभाव

बालिकाओं की शिक्षा के विकास में सबसे प्रमुख अवरोधक तत्व है सकारात्मक मनोवृत्ति की कमी आज के वैज्ञानिक युग में कुछ भारतीय अभी भी रूढ़ियो अंधविश्वासों तथा परम्पराओं की मानते आ रहे हैं। इसी कारण से हमारे देश की जनसंख्या के एक बड़े वर्ग में बालिकाओं की शिक्षा के विषय में पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है। छुआछूत बाल विवाह पर्दा प्रथा जैसी रूढ़ियों के कारण अनेक बालिकाओं को शिक्षा से वंचित रह जाना पड़ता है। अभी भी कुछ लोग मानते हैं कि स्त्री का कार्य क्षेत्र घर तक ही है। वे मानते हैं कि स्त्रियाँ पढ़कर सभी स्वतंत्रता की मांग करती हैं जो चरित्र हीनता सूचक है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह समस्या ज्यादा गंभीर है। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएँ एक दो वर्ष अध्ययन करके ही पढ़ना

छोड़ देती है। इस समस्या के हल हेतु हमें जनमानस के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना पड़ेगा एवं जागरूकता अभियान चला कर हम ऐसे लोगों का दृष्टिकोण बदल सकते हैं।

२. शैक्षिक अवसरों में असमानता

बालिकाओं की शिक्षा के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है कि बालिकाओं को बालकों के समान शिक्षा प्राप्त करने के अवसर नहीं मिल पाते। हमारे देश में शिक्षा के सभी स्तरों पर एवं लगभग सभी पक्षों पर बालकों तथा बालिकाओं की शिक्षा में असमानताएँ पाई जाती हैं। बालिकाओं को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर बालकों की अपेक्षा कम मिल पाते हैं। आज प्रजातान्त्रिक स्वरूप की रक्षा के लिए दोनों बालक एवं बालिकाओं का समान रूप पढ़ना आवश्यक है इसलिए हमें बालिकाओं को शिक्षा प्राप्त करके अवसर बालकों के समान प्रदान करने के लिए प्रयास करना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में इस दिशा में विशेष प्रयास करने का संकल्प लिया है।

३. अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या

अपव्यय एवं अवरोधन स्त्री शिक्षा के लिए एक गंभीर समस्या है। अन्य देशों की तुलना में हमारे देश में स्त्री शिक्षा में अपव्यय एवं अवरोधन अधिक पाया जाता है। प्रायः यह देखा गया है कि कक्षा एक में प्रवेश लेने वाली 100 बालिकाओं में से केवल 35 बालिकाएँ ही पाँचवी कक्षा तक पहुँच पाती हैं। तथा लगभग 20 ही कक्षा आठ तक पहुँचती हैं। बालकों की अपेक्षा बालिकाओं में अपव्यय एवं अवरोधन ज्यादा पाया जाता है। इसी प्रकार शहरों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में अपव्यय एवं अवरोधन ज्यादा पाया जाता है। गरीबी अशिक्षा रूढ़िवादिता, बालिकाओं के प्रति संकुचित एवं नकारात्मक दृष्टिकोण, नीरस पाठ्यक्रम, विद्यालय वातावरण, महिला शिक्षक का न होना, दोष पूर्ण परीक्षा प्रणाली परामर्श एवं निर्देशन का अभाव आदि बालिकाओं की शिक्षा में अपव्यय एवं अवरोधन के मुख्य कारण हैं। बालिकाओं शिक्षा के प्रसार के लिए अपव्यय एवं अवरोधन के कारणों को दूर करना पड़ेगा।

४. दोष पूर्ण पाठ्यक्रम

वर्तमान में प्रचलित पाठ्यक्रम नीरस तथा अरुचिकर है। बालकों एवं बालिकाओं के लिए समान पाठ्यक्रम भी एक मुख्य कारण है। बालिकाओं के पाठ्यक्रम में हस्तशिल्प, संगीत चित्रकला, पाक शास्त्र गृहविज्ञान, गृहपरिचर्या गृह अर्थशास्त्र मातृत्वकला जैसे विषय होने चाहिए। क्योंकि ये विषय बालिकाओं की रुचि के अनुरूप एवं उनके भविष्य में काम में आनेवाले हैं। कुछ शिक्षाविद् इसका विरोध करते हैं वे बालक एवं बालिकाओं के लिए समान पाठ्यक्रम की वकालत करते हैं।

५. दोषपूर्ण प्रशासन

वर्तमान शासन प्रणाली प्रशासन भी स्त्री शिक्षा के विकास में बाधक है। शिक्षा के क्षेत्र में अनेक प्रशासनिक कठिनाइयाँ एवं बाधाएँ आती हैं। प्रशासन में अधिकतर पुरुष अधिकारी कार्यरत हैं अतः वे महिलाओं की आवश्यकताओं को समझ नहीं पाते और न ही वे स्त्री शिक्षा में विशेष रुचि लेते हैं। इसलिए स्त्री शिक्षा से सम्बन्धित समस्याओं के समाधान तथा प्रशासन का दायित्व पुरुषों की जगह स्त्रियों को सौंप देना चाहिए। स्त्रियों को यह उत्तरदायित्व देने से वे स्त्रियों की समस्याओं को अच्छे से समझ पायेगी और स्त्री शिक्षा के विकास में वे रुचि भी लेगी तथा इससे उपयुक्त कार्यक्रमों का निर्माण, क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण अपेक्षाकृत अच्छा होगा। सरकार बालकों की शिक्षा की तुलना में स्त्री शिक्षा के विकास पर कम धन राशि व्यय करती है।

६. अध्यापिकाओं का अभाव

स्त्री शिक्षा के प्रसार में एक बहुत बड़ी बाधा अध्यापिकाओं की कमी का होना है। न केवल उच्च

माध्यमिक स्तर पर वरन प्राथमिक स्तर पर भी प्रशिक्षित अध्यापिकाओं की कमी है। इसके मुख्य कारण है असुरक्षा, आवागमन की असुविधा, आवास की व्यवस्था न होना, परिवार का असहमति इत्यादि। इन्हीं कारणों से प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित महिलाएं नौकरी नहीं कर पाती हैं। कई बार महिला शिक्षक न होने से भी बालिकायें कक्षाओं में नहीं आती। शहरों में तो महिला शिक्षिकायें मिल भी जाती हैं परन्तु ग्रामीण क्षेत्र में इनकी संख्या बहुत कम है, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्री शिक्षा की प्रसार भी कम है। अच्छी सुरक्षा, आवास, गृहस्थल के पास स्कूल, मनोरंजन, विशेष भत्ता आदि देकर हम महिला अध्यापिकाओं की संख्या बढ़ा सकते हैं जिससे स्त्री शिक्षा में यथोचित विस्तार होगा।

७. आर्थिक समस्या

स्त्री शिक्षा में घर की आर्थिक स्थिति भी बाधा उत्पन्न करती है। जरूरी वस्तुओं के खरीदने के लिए पैसे न होने पर कोई शिक्षा पर खर्च की कैसे सोच सकता है। इसके लिए सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियान से शिक्षा प्रदान की जा रही है। परन्तु अभी भी बालिकाओं की शिक्षा के लिए ठोस कदम उठाना जरूरी है। इस कार्य की सफलता में सरकार के साथ-साथ शिक्षकों अभिभावकों प्रशासकों सामाजिक कार्यकर्ताओं सभी को मिलकर कार्य करना पड़ेगा। और सरकार को बालिका शिक्षा के लिए अधिक धन राशि स्वीकृत करना पड़ेगी।

८. अशिक्षित जन मानस

आज भी हमारे देश में लगभग 25 % जनता साक्षर नहीं है शिक्षित न होने से उन्हें एक तो शिक्षा का महत्व समझ में नहीं आता दूसरे वे कई अंधविश्वासों के शिकार हैं, रूढ़ियों से जकड़े हुए हैं इस कारण से वे अपनी बालिकाओं की शिक्षा पर ध्यान नहीं देते इसके लिए हमें ऐसे अभिभावकों के जागरण का कार्य करना पड़ेगा, उन्हें शिक्षा का महत्व समझाना पड़ेगा खासकर बालिकाओं की शिक्षा का

९. व्यवसायिक तथा तकनीकी शिक्षा की कमी

आज भी हमारे देश में स्त्रियों के लिए व्यवसायिक तथा तकनीकी शिक्षा की कमी बनी हुई है। स्त्रियों के उत्थान के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें विभिन्न प्रकार की व्यवसायिक तथा तकनीकी शिक्षा प्रदान की जाये। कुछ वर्षों से इस ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बालिकाओं को उनकी रुचि के अनुसार विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रम चलाये जाना चाहिए।

१०. महिला / बालिका शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु उठाये गये कदम

स्वतंत्रता के बाद स्त्री शिक्षा को विशेष कार्य के रूप में स्वीकार किया है और इस दिशा में केन्द्र एवं राज्य सरकारों के द्वारा निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं। 6 से 14 वर्ष की छात्र/छात्राओं को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए संविधान के 86 वें संशोधन के उपरान्त शिक्षा प्राप्त करने प्रत्येक बालक/बालिका का मूल अधिकार बन गया। सर्व शिक्षा अभियान /सबके लिए शिक्षा जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से सभी को शिक्षित करने का प्रयास जारी है। इससे स्त्री शिक्षा का भी विस्तार हुआ है। स्त्री शिक्षा के लिए सभी राज्यों में दो बिन्दु प्रयास किये जा रहे हैं पहला बालिकाओं को विद्यालय भेजना और दूसरा विद्यालय में उनका ठहरावा।

११. सामाजिक कुप्रथाएँ एवं अन्धविश्वास

भारतीय समाज अनेक सामाजिक रूढ़ियों एवं अन्धविश्वासों से ग्रस्त है। शिक्षा के अभाव में आज भी अधिकांश लोग प्राचीन परम्पराओं एवं विचारों के कट्टर समर्थक हैं। उनका विचार है कि बालिकाओं को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन्हें विवाह करके पति के घर ही जाना है। वह शिक्षित और

स्वच्छन्द बालिकाओं को चरित्रहीन भी समझते हैं। कुछ परिवारों में आज भी बाल-विवाह और परदा-प्रथा विद्यमान है, जिनके कारण स्त्री-शिक्षा के प्रसार में बाधा उत्पन्न हो रही है।

१२. जनसाधारण में शिक्षा का कम प्रसार

आज भी देश की अधिकांश जनता अशिक्षित है और शिक्षा के सामाजिक तथा सांस्कृतिक महत्त्व से अनभिज्ञ है। अधिकांश लोग शिक्षा को निरर्थक और समय का अपव्यय समझते हैं। उनका विचार है कि शिक्षा केवल व्यावसायिक या राजनीतिक लाभ के लिए ही ग्रहण की जाती है। इस दृष्टि से केवल लड़कों को ही शिक्षित करना उचित है।

१३. निर्धनता तथा पिछड़ापन

वर्तमान समय में भारत की अधिकांश जनता निर्धन है और उसका जीवन-स्तर काफी पिछड़ा हुआ है। हमारे ग्रामीण क्षेत्र आज भी अविकसित दशा में हैं और वहाँ जीवन की अनिवार्य आवश्यकताएँ भी सुलभ नहीं हो पाती हैं। धन के अभाव के कारण वे अपने बालकों को ही शिक्षा नहीं दिला पाते हैं, फिर बालिकाओं को विद्यालय भेजना तो एक असम्भव बात है।

१४. संकीर्ण दृष्टिकोण

भारत में लोगों का स्त्रियों के प्रति बहुत संकीर्ण दृष्टिकोण पाया जाता है। अशिक्षा के कारण अधिकांश व्यक्ति यह कहते हैं कि स्त्रियों को केवल घर-गृहस्थी का कार्य भार सँभालना है, इसलिए अधिक पढ़ाने-लिखाने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षा प्राप्त करने पर स्त्रियाँ घर के काम नहीं कर सकेंगी। इस प्रकार के संकीर्ण दृष्टिकोण स्त्री-शिक्षा के प्रसार में बाधक सिद्ध हो रहे हैं।

१५. बालिका-शिक्षा के प्रति अनुचित दृष्टिकोण

भारत में अधिकांश लोग अपने बालकों को शिक्षा नौकरी प्राप्त करने के सामाजिक कुप्रथाएँ एवं उद्देश्य से दिलाते हैं और लड़कियों को शिक्षा इसलिए देते हैं, अन्धविश्वास जिससे उनका विवाह अच्छे परिवार में हो जाए। इस अनुचित दृष्टिकोण के कारण विवाह होते ही लड़कियों की पढ़ाई बन्द करा दी जाती है।

१६. शिक्षा में अपव्यय

शिक्षा सम्बन्धी आँकड़ों के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि बालकों की अपेक्षा बालिकाओं की शिक्षा पर अधिक अपव्यय होता है। वस्तुतः अधिकांश अभिभावक, के पास धनभाव और पूर्ण सुविधाओं के उपलब्ध न होने के कारण अधिकांश छात्राएँ निर्धारित अवधि से पूर्व ही पढ़ना छोड़ देती हैं। इस कारण अनेक बालिकाएँ समुचित शिक्षा प्राप्त करने से वंचित तथा रह जाती हैं।

१७. पाठ्यक्रम का उपयुक्त न होना

हमारे देश में शिक्षा के सभी स्तरों पर बालक-बालिकाओं के लिए समान पाठ्यक्रम, पुस्तकें और परीक्षाएँ हैं। अतः अधिकांश लोग इस प्रकार की शिक्षा के विरोधी हैं, क्योंकि उनका विचार है कि बालिकाओं की शारीरिक, मानसिक और सामाजिक आवश्यकताएँ बालकों से भिन्न होती हैं। अतः एक-समान पाठ्यक्रम बालिकाओं के लिए उपयुक्त नहीं होता। इस ज्ञान-प्रधान और पुस्तक-प्रधान पाठ्यक्रम का बालिकाओं के वास्तविक जीवन से कोई सम्बन्ध नहीं होता।

१८. बालिका विद्यालयों तथा अध्यापिकाओं की कमी

शिक्षा के सभी स्तरों पर हमारे देश में बालिका विद्यालयों की कमी है। देश में लगभग दो-तिहाई ग्राम ऐसे हैं, जहाँ प्राथमिक शिक्षा के लिए ही कोई व्यवस्था नहीं है। शेष एक-तिहाई ग्रामों में से अधिकांश में बालिकाओं को बालकों के साथ ही प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है। यही स्थिति माध्यमिक और

उच्च शिक्षा के स्तरों पर भी है। अतः सहशिक्षा के कारण भी स्त्री-शिक्षा के प्रसार में बाधा पहुँच रही है। इसी प्रकार प्रशिक्षित अध्यापिकाओं की भी कमी है। अनेक शिक्षित स्त्रियाँ अपने अभिभावकों और पति की अनिच्छा के कारण चाहते हुए भी नौकरी नहीं कर पातीं।

१९. दोषपूर्ण शैक्षिक प्रशासन

भारत में लगभग सभी राज्यों में स्त्री-शिक्षा का प्रशासन पुरुष अधिकारियों के हाथ में है, परन्तु स्त्री-शिक्षा की समस्याओं से पूर्णतया अवगत न होने के कारण और अरुचि के कारण स्त्री-शिक्षा का समुचित विकास नहीं हो पा रहा है।

२०. सरकार की उदासीनता

सरकार स्त्री-शिक्षा के प्रति उतनी जागरूक नहीं है, जितनी कि बालकों की शिक्षा के प्रति है। इस कारण ही स्त्री-शिक्षा के विकास पर बहुत कम धन व्यय किया जा रहा है। सरकार की इस उपेक्षापूर्ण नीति के कारण स्त्री-शिक्षा का वांछित विकास नहीं हो पा रहा है।

निष्कर्ष

विद्यालय में बालिकाओं की उपस्थिति व ठहराव सुनिश्चित करने के लिए नवचारी उपाय करना। सर्व शिक्षा अभियान के साथ-साथ प्राथमिक स्तर पर कन्या शिक्षा का राष्ट्रीय कार्यक्रम (NPEGEL) महिला सामख्या, पूर्व वाल्यकाल परिचर्चा व शिक्षा तथा एकीकृत बाल विकास सेवा जैसे विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा बालिका शिक्षा के विभिन्न पक्षों को मजबूत कर बालिकाओं को शिक्षित किया जा रहा है। पूर्ववाल्यकाल परिचर्चा व शिक्षा ECCE बालिकाओं को अपने छोटे भाई बहिनों की देखभाल से मुक्त कर उन्हें स्कूल जाने व वहा रुकने का मार्ग दिखाती है। एकीकृत बाल विकास (ICDS) के द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं प्राथमिक स्कूल के अध्यापकों व स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करके पूर्व विद्यालय शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सकता है। प्राथमिक स्तर पर बालिका शिक्षा के राष्ट्रीय कार्यक्रम (NPEGEL) के अन्तर्गत अनेक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की स्थापना की गई है। इन सब का उद्देश्य स्त्री शिक्षा का प्रसार एवं विस्तार करना है। केन्द्र एवं राज्य सरकारों के इन प्रयासों से स्त्री शिक्षा का प्रसार हुआ है और जल्दी ही हम शिक्षा के क्षेत्र में व्याप्त यौन असंतुलन को समाप्त कर देंगे।

संदर्भ सूची

१. भारतीय शिक्षा का इतिहास एवं विकास, संजय साहित्य भवन, लेखक - सौरभ अग्रवाल
२. Development of Education system Dr. Kulwinderpal. USI publication
३. www.drishtias.com women education
४. www.Prabhatkhabar.com (update Date wed, sep 8, 2021, 1:05, PM, 1st, ranchi)
५. मानव संसाधन विकास मंत्रालय वर्ष २०१९-२० की वार्षिक रिपोर्ट मानव संसाधन विकास मंत्रालय वर्ष २०२०-२१ की वार्षिक रिपोर्ट
६. www.samajkaryshiksha.com